

14/10/24

पत्रावली वाले निर्दिष्ट पेशे हुए और संघ में  
कार्ड बंद रखा। कार्ड जारी किया जाता  
है। पिछले निर्दिष्ट अलग से लिखा जा रहा  
शामिल किया जाना। डिप्टी जरी ला नंबर ले १५  
हो निर्दिष्ट हुआ जाना

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS  
2023/306

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 302/23 G.C.M.S.-2023/306

दायर दिनांक 07-11-2023

सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम जाति छीपा (छीपी) साकिन ढाबा हाल 1 एफ छोटी (टलेवाला)

तहसील व जिला श्री गंगानगर राज० आ० नं० 2807 2779 5048

----- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादी

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

1- राजवीर भादू, सुर्य प्रकाश चौहान अभिभाषक वादी

2- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

--: निर्णय --:

दिनांक :- 14/10/2024

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 9 एस जी आर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता नं० 122/104 के प०न० 25/305 मु०न० 14 के किला न० 1 ता 20/1 में 4.832 है० नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता सं० 121/105 के प०न० 25/305 मु०न० 14 के किला न० 20/2 ता 25/1.493 है० नहरी, प०न० 25/306 मु० न० 19 के किला न० 1 10/2.530 है० नहरी, प०न० 26/306 मु० न० 18 के किला नं० 21/, 22/1 में 0.379 है० कुल 4.402 है० नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 32 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता नं० 141/140 के प० न० 29/264 मु०न० 41 के किला न० 1/1 ता 20/5.060 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। वादी के नाम जैरवाद रकबा वाके चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं० 122/104 की 4.832 है० नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं संयुक्त खाता सं० 121/105 की 4.402 है० नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बसन्तकुमार पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता न० 141/140 की 5.060 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि वादी का नाम बसन्तराम पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है । जबकि वादी का सही नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम है । जैरवाद भूमि पर वादी का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिए वादी अपना सही नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। वादी को घर पर बसन्तकुमार, बसन्तराम के पुकारते हैं। वादी का सही नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम है इसलिए वादी का नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम किया जाना चाहिए । वादी का नाम बसन्तकुमार, बसन्तराम रिकार्ड में अंकित हो गया है । वादी अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वादी की समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकायो आदि में वादी का नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है। सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी वर्तमान में सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम के नाम से जाना जाता है वा इसी अनुसार जमाबन्दी में अंकित होने के हकदार है एवं घोषणा करवाने का पात्र है। वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी द्वारा नाम दुरुस्ती हेतु तहसीलदार राजस्व सूरतगढ नाम दुरुस्ती के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर टी डी आर द्वारा नाम दुरुस्ती की रिपोर्ट आई एल आर व पटवारी हल्का से प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी को नाम दुरुस्ती करवाने के लिए कहा गया । इसलिये चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं० 122/104 की 4.832 है० नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं संयुक्त खाता सं० 121/105 की 4.402 है० नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)



—2—(प्र0स0 302/23 सुभाषचन्द्र बनाम सरकार)

हिस्सा खातेदारी भूमि अंकित काश्तकार बसन्तकुमार पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता नं0 141/140 की 5.060 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि में अंकित काश्तकार बसन्तराम पुत्र श्री हुणताराम का नाम कलमजन कर जैरवाद भूमि का वादी सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। परोकार राज उपस्थित हुये। साक्ष्य जिसमें वादी द्वारा शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा परोकार राज से स्टेट जबाब पेश किया गया । दावे एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :-

1- आया कि चक 9 एस जी आर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 122/104 में 4.832 है0 नहरी खतेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 9 एस जी आर के खाता सं0 121/105 में 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता सं0 141/140. में 5.060 है0 में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

—वादी

2- आया कि जैरवाद रकबा भूमि में वादी का नाम बंसतराम पुत्र श्री हुणताराम का सुभाष चन्द्र पुत्र हुणताराम किया जाना कानून सम्मत है ?

— वादी

3- आया कि जैरवाद रकबा एवं अन्य दस्तावेजों में नाम की भिन्नता के कारण वादी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है ?

— वादी

4- अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी स्वयं के द्वारा शपथ-पत्र तथा पड़ोसी काश्तकार के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं करवाये गये ।

इसके पश्चात वादी के अभिभाषक एवं परोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 9 एस जी आर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता नं0 122/104 के प0न0 25/305 मु0न0 14 के किला नं0 1 ता 20/1 में 4.832 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता सं0 121/105 के प0न0 25/305 मु0न0 14 के किला नं0 20/2 ता 25/1.493 है0 नहरी, प0न0 25/306 मु0 नं0 19 के किला नं0 1 10/2.530 है0 नहरी, प0 नं0 26/306 मु0 नं0 18 के किला नं0 21/, 22/1 में 0.379 है0 कुल 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 32 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता नं0 141/140 के पं0 नं0 29/264 मु0 नं0 41 के किला नं0 1/1 ता 20/5.060 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । वादी के नाम जैरवाद रकबा वाके चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं0 122/104 की 4.832 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं संयुक्त खाता सं0 121/105 की 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बसन्तकुमार पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता नं0 141/140 की 5.060 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि वादी का नाम बसन्तराम पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है । जबकि वादी का सही नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम है । जो वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, वादी की समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकायो आदि में वादी का नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है। इसलिए वादी अपनी खातेदारी भूमि में अपना सही नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है।

प्रतिवादी सं0 1 ने जबाब दावा तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करते हुये राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये निर्णय पारित किया जावे ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावेजों व साक्ष्यों पर गौर किया गया विस्तृत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :-

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)



तनकी न0 1— आया कि चक 9 एस जी आर तहसील सूरतगढ के संयुक्त खाता सं0 122/104 की 4.832 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 9 एस जी आर के खाता सं0 121/105 में 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता सं0 141/140. में 5.060 है0 में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा सभी खातों की सत्यपित जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जो ई एक्स पी एक ता तीन है । जिसमें वादी का नाम बंसतकुमार व बंसतराम राजस्व रिकार्ड दर्ज है । इसलिए उक्त जैरवाद रकबा का वादी नं0 1 खातेदार कृषक होने के कारण कानूनी अधिकारी है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2— आया कि जैरवाद रकबा भूमि में वादी का नाम बंसतराम पुत्र श्री हुणताराम का सुभाष चन्द्र पुत्र हुणताराम किया जाना कानून सम्मत है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी के द्वारा पूर्व में नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन गांव के अभियान मे किया गया जिसमें समस्त रिपोर्ट पटवारी एव तहसीलदार सूरतगढ द्वारा कि गई । तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड , पेन कार्ड , राशन कार्ड , बैंक पास बुक, जाति प्रमाण-पत्र , मूल निवास प्रमाण-पत्र, वादी की समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकायो आदि प्रस्तुत किये गये इसके अलावा वादी के द्वारा प्रधानाध्यापक मानकसर का प्रमाणित तस्दीक तथा स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें वादी का नाम सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है। इसलिए उक्त जैरवाद रकबा में वादी के नाम की भिन्नता को दुरुस्त करवाने का वादी खातेदार कृषक होने के कारण कानूनी अधिकारी है । तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3— आया कि जैरवाद रकबा एव अन्य दस्तावेजों में नाम की भिन्नता के कारण वादी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा पूर्व कि तनकीयान में रिकार्ड एव दस्तावेजों के आधार पर जमाबन्दी तथा अन्य दस्तावेजों में नाम की भिन्नता बंसत कुमार पुत्र श्री हुणताराम , बंसत राम पुत्र श्री हुणताराम जमाबन्दी में दर्ज होने तथा अन्य दस्तावेजों में सुभाष चन्द्र पुत्र श्री हुणताराम दर्ज होने के कारण शुद्धि करवाने की तनकीयात सिद्ध की जा चुकी है। तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात नं0 1 ता 3 बहक वादी निर्णित की चुकी है । वादी उक्त जैरवाद रकबा चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं0 122/104 की 4.832 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि , संयुक्त खाता सं0 121/105 की 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बसन्तकुमार पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता नं0 141/140 की 5.060 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि वादी का नाम बसन्तराम पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है जबकि अन्य अहम दस्तावेजों सुभाष चन्द्र पुत्र श्री हुणताराम दर्ज है। इसलिए उक्त वाद-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं0 122/104 की 4.832 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं संयुक्त खाता सं0 121/105 की 4.402 है0 नहरी खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बसन्तकुमार उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता नं0 141/140 की 5.060 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि वादी का नाम बसन्तराम उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (सा.सा.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकदम इशतदाई

अज अदालत-सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर  
बइजलास - श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम जाति छीपा (छीपी) साकिन ढाबा हाल 1 एफ छोटी (टेलेवाला)  
तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0 आ0 नं0 2807 2779 5048

----- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादी


वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 302 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते  
इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषकगण राजवीर भादू, सुर्य कुमार चौहान वादी  
राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुकम दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये  
जाते है :-

चक 9 एस जी आर के संयुक्त खाता नं0 122/104 की 4.832 है0 नहरी खातेदारी  
भूमि में 403/2416 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं संयुक्त खाता सं0 121/105 की 4.402 है0 नहरी  
खातेदारी भूमि में 367/4402 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी का नाम बसन्तकुमार उर्फ सुभाषचन्द्र  
पुत्र श्री हुणताराम एवं चक 32 एम ओ डी के संयुक्त खाता नं0 141/140 की 5.060 है0 नहरी  
मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में 211/1265 हिस्सा खातेदारी भूमि वादी का नाम बसन्तराम  
उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हुणताराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी  
में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

नोज ...x...मुबलिग ...x...बाबत .....x.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो की  
पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14/10/2024 को जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ ( श्रीगंगानगर)